प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 71/2023)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) के प्रसारण हेतु डिस्ट्रब्यूशन प्लेटफार्म ऑपरेटरों (डीपीओ) को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 के विनियमन 4ए के प्रावधानों के तहत आदेश।

नई दिल्ली, 9 अगस्त 2023- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 11 जून 2021 को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (तीसरा संशोधन) विनियमन, 2021 (2021 का 1) अधिसूचित किया, जो सीएएस और एसएमएस के तकनीकी अनुपालन के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। उक्त फ्रेमवर्क को इंटरकनेक्शन विनियमन, 2017 में अनुसूची IX के रूप में शामिल किया गया है।

2. संशोधित इंटरकनेक्शन विनियम, 2017 सीएएस और एसएमएस के लिए फ्रेमवर्क के संचालन और निरीक्षण की परिकल्पना करता है जिसे एक परीक्षण एवं प्रमाणन एजेंसी के माध्यम से किया जाना है। ट्राई ने अन्य कलापों के साथ-साथ कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) के लिए परीक्षण अनुसूचियों और परीक्षण प्रक्रियाओं को अधिसूचित करने और बनाए रखने के लिए दूरसंचार विभाग के दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र (टीईसी) को एक एजेंसी के रूप में नामित किया है। इंटरकनेक्शन विनियम, 2017 की अनुसूची IX, मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की सूची को सूचीबद्ध/घोषित करती है जो परिभाषित परीक्षण अनुसूचियों और परीक्षण प्रक्रियाओं के अनुसार परीक्षण करने की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं और मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण और प्रमाणित सभी उत्पादों के लिए प्रमाणन प्रदान करती हैं। तदनुसार, टीईसी ने टेस्ट गाइड, प्रमाणन प्रक्रिया अर्थात् "कंडिशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) के प्रमाणीकरण के लिए प्रमाणन प्रक्रिया" जारी की है और इसने टेस्ट गाइड के अनुसार सीएएस और एसएमएस के परीक्षण के लिए एक एजेंसी को भी मान्यता दी है। टीईसी ऐसे परीक्षण करने के लिए और अधिक परीक्षण प्रयोगशालाओं को मान्यता देने की प्रक्रिया में है।

3. प्रमाणन प्रक्रिया वितरण प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटरों द्वारा प्रसरित सिस्टम में सीएएस और एसएमएस के मानकीकरण को सक्षम करेगी, जो ग्राहकों को केवल सब्सक्राइब किए गए टेलीविजन चैनलों तक पहुंच प्रदान करेगी और इस तरह चोरी पर रोक सुनिश्चित करेगी। साथ ही, प्रसारकों को राजस्व का उचित हिस्सा मिलेगा।

4. आज 9 अगस्त 2023 को ट्राई(भादूविप्रा) ने सभी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स को आदेश जारी किया है कि यदि 01 मार्च 2024 को या उसके बाद कोई नया सीएएस/एसएमएस तैनात करना है, तो उन्हें केवल ऐसे सीएएस और एसएमएस सिस्टम तैनात करने चाहिए जो इंटरकनेक्शन विनियम, 2017 की अनुसूची IX की आवश्यकताओं के अनुपालन के उद्देश्य से टीईसी द्वारा मान्यता प्राप्त और टीईसी या प्राधिकरण द्वारा नामित किसी अन्य एजेंसी द्वारा प्रमाणित परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण किए गए हों। इसके अतिरिक्त, 1 मार्च 2025 को या उससे पहले, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटरों को अपने वर्तमान CAS और SMS को उन संस्करणों में अपग्रेड करना होगा जिन्हें इंटरकनेक्शन विनियम, 2017 की अनुसूची IX में सूचीबद्ध मानकों को पूरा करने के लिए TEC द्वारा उचित रूप से जाँचा और प्रमाणित किया गया है।

5. आदेश की एक प्रति ट्राई की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

6. किसी भी अतिरिक्त स्पष्टीकरण या जानकारी के लिए श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बी एंड सीएस) से advbcs-2@traLgov.in पर या +91-11-2323792 पर फोन द्वारा संपर्क किया जा सकता है।

(वी. रघुनंदन)

सचिव, ट्राई